रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232933
CG-DL-E-27012022-232933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943
No. 60] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/ MAGHA 7, 1943

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

सं. 136

सं. ई.पी.1(2)/2021.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः**

   i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 कहलाएंगे।

   ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाः** इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. निम्नलिखित संशोधन भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 (परिशिष्ट-I) में किए गए हैं:

भाग- I विशेष पद

I. कॉलम 7 के शीर्षक में दर्शाए जाने वाले शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:

एआईएस/केन्द्रीय सेवाओं/पीएसई से प्रतिनियुक्ति अथवा निजी क्षेत्र से पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) के माध्यम से 3 वर्ष की अवधि के लिए 5 वर्ष तक (प्रदर्शन के आधार पर) बढ़ाया जा सकता है।
अर्हता एवं अनुभव, यदि कोई हो।

II. कॉलम 4 में दर्शाए जाने वाले शब्द क्रम संख्या 1$, 1(A$), 2, 4$, 5$, और 6$ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:-

पार्श्व प्रवेश के माध्यम से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण। प्रत्येक अवसर पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आतंरिक उम्मीदवारों (पदोन्नति) के लिए प्रतिनियुक्ति/पार्श्व प्रवेश का अनुपात 50:50 [कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) के पद को छोड़कर] होगा।

III. क्रम संख्या 1$, 1(A$), 2, 4$, 5$, तथा 6$ के संबंध में कॉलम 7 तथा 8 में दर्शाए जाने वाले शब्दों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:-

कॉलम 1	**कॉलम. 7**	**कॉलम 8**
1$,1(A$),	**प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के मामले में;**	
	प्रतिनियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस)/केन्द्रीय सेवाओं से एस ए जी स्तर पर अधिकारियों को लेकर की जाती हैं।	-
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) के मामले में समरूप पद अथवा आईडीए वेतनमान रु.120000-280000 (ई-8) में दो वर्ष की नियमित सेवा या आईडीए वेतनमान रु.100000-260000 (ई-7) में चार वर्ष की नियमित सेवा।	57
	पार्श्व प्रवेश के मामले में; फार्म-16/ आईटीआर (वेतन आय) अथवा फार्म 16 या आईटीआर के अभाव में वेतनपर्ची के अनुसार विज्ञापन के वर्ष को छोड़कर पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 35 लाख रुपये की न्यूनतम सीटीसी।	50-55
	अर्हता	
	अनिवार्य: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से एसीए/ एआईसीडब्ल्यूए/ सीएफए/	

	एमबीए(वित्त) अथवा वित्त में समकक्ष योग्यता। **अनुभव** किसी प्रतिष्ठित संस्थान में वित्त/लेखा/लेखा परीक्षा में 25 वर्ष का अनुभव।	
2,4$	**प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के मामले में;** प्रतिनियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस)/केन्द्रीय सेवाओं से एस ए जी स्तर पर अधिकारियों को लेकर की जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) के मामले में समरूप पद अथवा आईडीए वेतनमान रु.120000-280000 (ई-8) में दो वर्ष की नियमित सेवा या आईडीए वेतनमान रु. 100000-260000 (ई-7) में चार वर्ष की नियमित सेवा। **पार्श्व प्रवेश के मामले में;** फार्म-16/ आईटीआर (वेतन आय) अथवा फार्म 16 या आईटीआर के अभाव में वेतनपर्ची के अनुसार विज्ञापन के वर्ष को छोड़कर पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 35 लाख रुपये की न्यूनतम सीटीसी। **अर्हता** **अनिवार्य** : किसी भी विषय में स्नातकोत्तर **वांछनीय** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रबंधन में एमबीए/स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **अनुभव** प्रबंधकीय क्षमता में वेयरहाउसिंग और/अथवा लॉजिस्टिक्स में 25 वर्ष का अनुभव। खाद्य उद्योग के क्षेत्र में अनुभव रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।	- 57 50-55
5$	**प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के मामले में;** प्रतिनियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस)/केन्द्रीय सेवाओं से एस ए जी स्तर पर अधिकारियों को लेकर की जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) के मामले में समरूप पद अथवा आईडीए वेतनमान रु. 120000-280000 (ई-8) में दो वर्ष की नियमित सेवा या आईडीए वेतनमान रु. 100000-260000 (ई-7) में चार वर्ष की नियमित सेवा।	- 57

	पार्श्व प्रवेश के मामले में; फार्म-16/आईटीआर (वेतन आय) अथवा फार्म 16 या आईटीआर के अभाव में वेतनपर्ची के अनुसार विज्ञापन के वर्ष को छोड़कर पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 35 लाख रुपए की न्यूनतम सीटीसी। **अर्हता** **अनिवार्य**: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से सिविल/इलेक्ट्रिकल/मकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री। **वांछनीय:** सिविल/इलेक्ट्रिकल/मकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ, चावल मिलों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, डिजाइनों और विनिर्देशनों की तैयारी, बंदरगाहों/गोदामों में यांत्रिकी उपकरणों के रख-रखाव और प्रचालन का विशेष ज्ञान। **अनुभव** सिविल/इलेक्ट्रिकल/मकेनिकल इंजीनियरिंग के कार्य में 25 वर्ष का अनुभव	50-55
6$	**प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के मामले में;** प्रतिनियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस)/केन्द्रीय सेवाओं से एस ए जी स्तर पर अधिकारियों को लेकर की जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) के मामले में समरूप पद अथवा आईडीए वेतनमान रु. 120000-280000 (ई-8) में दो वर्ष की नियमित सेवा या आईडीए वेतनमान रु. 100000-260000 (ई-7) में चार वर्ष की नियमित सेवा। **पार्श्व प्रवेश के मामले में;** फार्म-16/आईटीआर (वेतन आय) अथवा फार्म 16 या आईटीआर के अभाव में वेतनपर्ची के अनुसार विज्ञापन के वर्ष को छोड़कर पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 35 लाख रुपये की न्यूनतम सीटीसी। **अर्हता** **अनिवार्य:** किसी भी विषय में स्नातकोत्तर **वाछंनीयः** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्रबंधन में एमबीए/स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	- 57 50-55

	अनुभव किसी प्रतिष्ठित संस्थान में मानव संसाधन प्रबंधन/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध के विभिन्न पहलुओं में 25 वर्ष का अनुभव।	

एम. के. गोगोई, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./616/2021-22]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए।

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (पांचवा संशोधन) 2021	08.12.2021
2.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (छठवां संशोधन) 2021	15.12.2021
3.	भा.खा. नि., विनियम (कर्मचारिवृन्द) (सातवाँ संशोधन) 2021	30.12.2021

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2022

No. 136

No. EP.1(2)/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (First Amendment) Regulations, 2022.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. **The following amendments are made in Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 (Appendix-I):**

PART- I SPECIAL POSTS

(i) The words appearing in heading of Column 7 are replaced with the following:

Deputation from AIS / Central Services / PSEs or through lateral entry from Private Sector on contractual basis for a period of 3 years extendable up to 5 years (depending upon performance).
Qualifications & experience, if any.

(ii) The words appearing in Column 4 in respect of serial number 1$, 1(A$), 2, 4$, 5$ and 6$ are replaced with the following:

Promotion / Transfer on deputation, through lateral entry. To be determined by Chairman on each occasion. Ratio of deputationist / lateral entry to internal candidates (Promote) will be 50:50 (excluding the post of Executive Director (Vigilance).

(iii) The words appearing in Columns 7 and 8 in respect of serial number 1$, 1(A$), 2, 4$, 5$ and 6$ are replaced with the following:

Col. 1	Col. 7	Col. 8
1$, 1(A$)	**In case of transfer on deputation basis;** Deputation is to be effected by taking officers at SAG level from AIS/ Central Services. Holding anologus posts or two years regular service in IDA pay scale of Rs.120000-280000 (E-8) or four years regular service in IDA pay scale of Rs.100000-260000 (E-7) in case of PSEs. **In case of lateral entry;** Minimum CTC of RS.35 lakhs per annum during the previous two financial years excluding the year of advertisement as per Form 16/ ITR (Salary Income) or pay slip in absence of Form 16 or ITR. **Qualification** **Essential:** ACA/AICWA/CFA/MBA (Finance) or an equivalent qualification in finance from a recognized University/Institution approved by Ministry of Education, Govt. of India. **Experience** 25 years' experience in Finance/Accounts/Audit in an organization of repute.	- 57 50-55
2, 4$	**In case of transfer on deputation basis;** Deputation is to be effected by taking officers at SAG level from AIS/ Central Services. Holding anologus posts or two years regular service in IDA pay scale of Rs.120000-280000 (E-8) or four years regular service in IDA pay scale of Rs.100000-260000 (E-7) in case of PSEs. **In case of lateral entry;** Minimum CTC of RS.35 lakhs per annum during the previous two financial years excluding the year of advertisement as per Form 16/ ITR (Salary Income) or pay slip in absence of Form 16 or ITR. **Qualification** **Essential:** Post Graduation in any discipline **Desirable:** MBA / Post Graduate Diploma in Management from a Recognized University or Institute. **Experience** 25 years' experience in warehousing and / or logistics in managerial capacity. Preference will be given for experience in the field of food industry.	- 57 50-55
5$	**In case of transfer on deputation basis;** Deputation is to be effected by taking officers at SAG level from AIS/ Central Services. Holding anologus posts or two years regular service in IDA pay scale of Rs.120000-280000 (E-8) or four years regular service in IDA pay scale of Rs.100000-260000 (E-7) in case of PSEs. **In case of lateral entry;** Minimum CTC of RS.35 lakhs per annum during the previous two financial years excluding the year of advertisement as per Form 16/ ITR (Salary Income) or pay slip in absence of Form 16 or	- 57 50-55

	ITR. **Qualification** **Essential:** Degree in Civil/Electrical/Mechanical Engineering of a recognized University or equivalent **Desirable:** Master degree in Civil/Electrical, Mechanical engineering with specialized knowledge of Rice Mills, Food Processing Industries, preparation of designs and specifications, maintenance and operation of mechanical handling equipment at ports / godowns. **Experience** 25 years' experience of Civil / Electrical / Mechanical engineering works	
6$	**In case of transfer on deputation basis;** Deputation is to be effected by taking officers at SAG level from AIS/ Central Services. Holding anologus posts or two years regular service in IDA pay scale of Rs.120000-280000 (E-8) or four years regular service in IDA pay scale of Rs.100000-260000 (E-7) in case of PSEs. **In case of lateral entry;** Minimum CTC of RS.35 lakhs per annum during the previous two financial years excluding the year of advertisement as per Form 16/ ITR (Salary Income) or pay slip in absence of Form 16 or ITR. **Qualification** **Essential:** Post Graduation in any discipline **Desirable:** MBA / Post Graduate Diploma in Management from a Recognized University or Institute. **Experience** 25 years' experience in various aspects of HRM / Personnel Management / Industrial Relations in an organization of repute.	- 57 50-55

M. K. GOGOI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./616/2021-22]

Note:- The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

Sl. No.	Title	Dated
1.	FCI (Staff) (5th Amendment) Regulations, 2021	08.12.2021
2.	FCI (Staff) (6th Amendment) Regulations, 2021	15.12.2021
3.	FCI (Staff) (7th Amendment) Regulations, 2021	30.12.2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.27 23:03:45 +05'30'